कार्यालयः राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

दिनांकः–...18...11....2020

पत्रांकः–......2345............/

बन्दोबस्ती की सूचना

जयपाल सिंह स्टेडियम के दक्षिण भाग में नव–निर्मित अटल स्मृति वेंडर परिसर मे 01 वर्षो के लिए वाहन पड़ाव की बन्दोबस्ती खुली डाक के माध्यम से की जायेगी। बन्दोबस्ती अधिकतम बोली गयी डाक के आधार पर होगी। इस बन्दोबस्ती में निबंधित संस्था/समिति/प्रतिष्ठान एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति भाग ले सकते है। डाक की सुरक्षित राशि 10,00,000/–रु0 (कर अतिरिक्त) निर्धारित है। जमानत की राशि के रुप में 2,50,000/–रु0 का बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त रांची नगर निगम, रांची के नाम से जमा करना होगा। बन्दोबस्ती की तिथि 15.12.2020 को अपराह्न 1:00 बजे तक निविदा प्राप्त करना है एवं उसी दिवस अनराह्न 3:00 बजे प्राप्त निविदाओं के निष्पादन हेतू निविदा निष्पादन समिति द्वारा खोला जायेगा।

नोट– 1. आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2020 से 12.12.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय से आवेदन पत्र 500/–रू0 जमा कर प्राप्त किया जा सकता हैं।

बन्दोबस्ती की नियम एवं शर्तें निगम वेबसाईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में रांची नगर निगम बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

18/11/2020

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Scanned with CamScanner

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

पड़ाव के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि 1 वर्ष तक के लिये होगा।
2. संबंधित पड़ाव आदि के सामने अंकित जमानत की राशि **बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची** के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि (बैंक ड्रफ्ट मूल रूप में) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि		निर्धारित समय
(i)	10 लाख रु० से उपर	–	70% राशि 24 घंटे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के 31 जून तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा 31 जून के पश्चात निविदा की अवधि स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट :– राशि का भुगतान **Demand Draft/ RTGS** के माध्यम से करना होगा।

7. बन्दोबस्त राशि के विरूद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा तथा आवंटन के उपरांत निगम कार्यालय में GST No. देना अनिवार्य होगा। यदि किसी बन्दोबस्तधारी का GST निबंधन नहीं किया गया हो, तो उन्हें शपथ पत्र निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति वश इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. एकरारनामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निबंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त्त के उल्लघंन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा– विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द एवं जमानत की राशि जब्त करके पुर्न निविदा आमंत्रित करने का अधिकार रांची नगर निगम को सुरक्षित होगा।

Scanned with CamScanner

11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।

12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निम्नांकित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।

पार्किंग दर निम्नवत् होगी :-

चार पहिया वाहन	–	20/-रू0 प्रति तीन घंटा
दो पहिया वाहनों के लिये	–	05/-रू0 प्रति तीन घंटा

शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में पार्किंग शुल्क दर आधा होगा परन्तु दो पहिया वाहनों के लिये पार्किंग शुल्क 05/-रू0 से कम नही होगा।

13. 10 मिनट की अवधि प्रतिक्षा अवधि मानी जायेगी एवं इसके लिये पार्किंग शुल्क देय नही होगा।

14. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार निगम का होगा।

15. Performance Security के रुप में 25,000/- रू0 जमा करना होगा।

16. पड़ाव स्थल में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जानें पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/-रु० अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होनें पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।

17. डाक वक्ता को आवेदन पत्र के साथ जमानत की राशि के साथ बैंक ड्राफ्ट,हॉल्डिंग नं0 आधार कार्ड, पैन नं0 एवं जिला प्रशासन से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

18. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम की जिम्मेवारी नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।

19. अटल स्मृति वेंडर मार्केट के भू-त्तल/ प्रथम तल में फुटपाथ दुकान/द्वितीय तल में दुकान/तृतीय तल में कॉमर्शियल स्पेस/बैंक्वेट हॉल/फुड कोर्ड के मालिको से एवं बैंक्वेट हॉल बुक करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान/संस्था को उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 20.10.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय में निर्धारित दर देय करना होगा।

20. जमानत की राशि बन्दोबस्त की राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। बन्दोबस्ती की अवधि समाप्त होने एवं बकाया राशि नहीं होने के उपरांत जमानत की राशि वापस कर दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

21. किसी भी निविदा को बगैर कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार रांची नगर निगम को सुरक्षित होगा।

नोटः—मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं। यदि निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग नही लेते है तो निविदा की कार्रवाई बाधित नही होगी।

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned with CamScanner